

ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना

मे बहुमंजलीय वन रूम सैट एवं टू रूम सैट भवनो के पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका।

1-योजना और स्थान का विवरण:

यह योजना ट्रांसपोर्ट नगर योजना, देहरादून रोड के पास स्थित है।

2-आवेदन हेतु पात्रता:

- 2.1 आवेदक अनुबंध करने के लिये सक्षम होना चाहिए ओर वयस्कता (18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो)
- 2.2 सभी भारतीय और अनिवासी भारतीयों जिसे भारत सरकार या उ०प्र० सरकार द्वारा किसी भी विशिष्ट नियमों के तहत उ०प्र० में किसी भी अचल सम्पत्ति खरीदने के लिये प्रतिबन्धित न किया गया हो आवेदन के पात्र है।
- 2.3 पात्र व्यक्ति किसी योजना की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस योजना में एक से अधिक भवन के लिये आवंटन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है।
- 2.4 आवेदन उसकी/उसके पति या पत्नि या उसके माता/पिता/भाई/बहन/बेटा/बेटी से पारिवारिक सम्बन्ध के साक्ष्य के सयुंक्त आवेदन कर सकते है।
- 2.5 आवेदक उसकी/उसके पति या पत्नि या नाबालिक आश्रित बच्चो के लिये केवल एक ही भवन हेतु आवेदन कर सकते है। यदि यह पाया जाता है कि एक ही आवेदक ने पति या पत्नि या उसके नाबालिक आश्रित बच्चो के लिये एक से अधिक भवन के लिये आवेदन किया है तो उसके सभी आवेदन/आवंटन रद्द कर दिये जायेगे और पंजीकरण राशि जब्त कर लिये जायेगें।
- 2.6 सह आवेदक आवेदन कर सकते है यदि उनसे सीधा पारिवारिक रिश्ता हो (पिता/माता/पुत्र/पुत्री/बहन/पति/पत्नि) इन रिश्तो के अलावा अन्य कोई सह आवेदक के रूप में आवेदन नहीं कर सकता है।

3-भवनो का विवरण:

क0स0	भवन की श्रेणी	भवनो की संख्या	भवन का क्षेत्रफल (वर्गमी0)	अनुमानित विक्रय मूल्य	पंजीकरण धनराशि (10 प्रतिशत आवेदन पत्र के साथ)	आवंटन धनराशि (आवंटन के 45 दिनों के अन्दर) 15 प्रतिशत
1	1रूम सेट भूतल	08	27	10,92,300.00	109230.00	163845.00
2	1रूम सेट अन्य तल	24	27	9,40,600.00	94,060.00	1,41,090.00
3	2 रूम सेट भूतल	04	39.20	15,85,800.00	1,58,580.00	2,37,870.00
4	2 रूम सेट अन्य तल	12	39.20	13,65,600.00	1,36,560.00	2,04,840.00

4-आवंटन:

- 4.1 आवासीय भवनों का आवंटन "प्रथम आवत प्रथम पावत" आधार पर किया जायेगा अर्थात जिस आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर पहले जमा किया जायेगा उनका आवंटन पहले किया जायेगा।
- 4.2 आवेदकों को भवन संख्या/तल का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
- 4.3 आवंटन हेतु उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के भवनों की संख्या, उसका क्षेत्रफल, अनुमानित प्रीमियम, पंजीकरण धनराशि तथा आवंटन राशि आदि का विवरण उक्त तालिका में दिया गया है। पंजीकरण तथा आवंटन धनराशि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सहारनपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा ही जमा की जायेगी।
- 4.4 भवनों का आवंटन "जैसा है जहाँ है" के आधार पर भवन श्रेणीवार, किया जायेगा।
- 4.5 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 4.6 आवंटित भवन का क्षेत्रफल मौके पर कम/अधिक होने पर सामानुपातिक रूप से देय प्रीमियम में परिवर्तन हो जायेगा।
- 4.7 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे रद्द कर दिया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दिया जायेगा।
- 4.8 आवंटन एवं मॉग पत्र तथा अन्य सूचना आवेदक द्वारा दिये गये पत्र व्यवहार के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे। यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो परिणाम/सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं यदि उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पत्र प्राप्त कर लिया जाता है तो वह आवंटनी को प्राप्त माना जायेगा तथा इस विषय में कोई अन्यथा दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5-भुगतान:

- 5.1 आवासीय भवनों का आवंटन "प्रथम आवत प्रथम पावत" आधार पर किया जायेगा अर्थात जिस आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर पहले जमा किया जायेगा उनका आवंटन पहले किया जायेगा।
- 5.2 आवेदकों को भवन संख्या/तल का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
- 5.3 आवंटन के बाद किशतों में भुगतान किये जाने पर प्राधिकरण को 09 प्रतिशत ब्याज देय होगा। निर्धारित समय से किशतों का भुगतान न करने पर 02 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- 5.4 भवन के पंजीकरण हेतु आवेदन करते समय, भवन के मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन के 45 दिन के अन्दर भवन मूल्य का 15 (कुल 25 प्रतिशत) प्रतिशत जमा करना होगा, जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सहारनपुर में देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा ही जमा किया जायेगा।
- 5.5 अवशेष धनराशि का भुगतान एक मुश्त रूप से अथवा 20-40 समान त्रैमासिक किशतों में आवेदक के किशत भुगतान चयन के अनुसार किया जायेगा। एक मुश्त धनराशि जमा करने का अर्थ आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर सम्पूर्ण भुगतान किये जाने से है। एक मुश्त भुगतान करने पर भवन मूल्य पर 05 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।
- 5.6 लगातार दो किशते जमा न करने पर आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5.7 आवंटन निरस्त होने पर 30 दिन के भीतर आवंटन पुर्नस्थापित करने हेतु पुर्नस्थापना शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5.8 आवंटन निरस्त होने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में पुर्नस्थापना न करने की दशा में कुल जमा धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।

6-पट्टा और पट्टा किराये की अवधि:

1. भवन का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर किया जायेगा।
2. भवन का आवंटन आवंटी को 90 वर्ष के लिये पट्टे के आधार पर किया जायेगा और पट्टे का किराया पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले भवन में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत नियमानुसार की दर से एक मुश्त देय होगा। साथ ही पट्टा प्रलेख (लीज-डीज) निष्पादन से पूर्व पूर्ण धनराशि जमा करानी होगी।

7-पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन:

- 7.1 आवंटी को आवंटन तिथि से 03 माह के अंदर कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत अनुबंध/पट्टा प्रलेख करना होगा और भवन का कब्जा निर्धारित अवधि के अंदर लेना होगा।
- 7.2 प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि में भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0. 200/- चौकीदारा शुल्क देना होगा। विलम्बतम एक वर्ष में भवन का कब्जा न लेने पर उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 7.3 आवंटित सम्पत्ति का कब्जा एकमुश्त भुगतान के आवंटियों को भवन मूल्य की शत-प्रतिशत धनराशि एवं पट्टा किराया के रूप में भवन में निहित भूमि के मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर पट्टा प्रलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।
- 7.4 किशतों के आवंटियों को भवन मूल्य के 25 प्रतिशत धनराशि एवं तत्समय तक देय किशतो की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने व पट्टा किराया के रूप में भवन में निहित भूमि के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की धनराशि, प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबंध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

8-आरक्षण:

शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा किन्तु यदि आरक्षित वर्ग में पर्याप्त आवेदक उपलब्ध नहीं हुए तो सामान्य वर्ग के आवेदकों को भवन आवंटित कर दिये जायेंगे।

9-निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

- 9.1 भवन के पंजीकरण की तिथि से आवंटन के लिए निर्धारित ड्रा की तिथि के पूर्व धनराशि वापस किये जाने पर कोई कटौती नहीं की जायेगी किन्तु पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 9.2 आवंटन के पश्चात पंजीकरण धनराशि की वापसी बिना किसी ब्याज के 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त की जायेगी।
- 9.3 जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के ड्रा की तिथि से 90 दिन के भीतर वापस कर दी जायेगी।
- 9.4 पंजीकरण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के एक वर्ष के भीतर आवंटन हेतु ड्रा आयोजित न किये जाने की दशा में जमा धनराशि पर सम्पूर्ण अवधि के लिए 4 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। धनराशि जमा किये जाने के माह तथा वापसी के माह को ब्याज हेतु सम्मिलित नहीं माना जायेगा।

9.5 अन्य किन्ही कारणों से आवंटन निरस्त होने की दशा में भी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कटौतियों के उपरान्त आवेदक/आवंटी को देय धनराशि 90 दिन के भीतर वापस की जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10-लीज रेंट शुल्क:

आवंटित भवनों का लीज रेंट शुल्क निर्धारित अवधि में आवंटी द्वारा प्राधिकरण को देय होगा तथा लीज रेंट दिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नियम एवं शर्तें शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार लागू होंगे।

11-मिथ्याचरण:

यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है अथवा कोई महत्वपूर्ण बात छिपायी जाती है तो उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को पूरा अधिकार होगा कि वह पंजीकरण/आवंटन/अनुबंध निरस्त करने तथा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इसके अतिरिक्त आवंटी के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

12-सम्पत्ति को बन्धक रखने का प्राविधान:

आवंटी को उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति से ऋण प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति को बन्धक रखने की सुविधा होगी।

13-सम्पत्ति का विक्रय:

लीज-डीड से पूर्व सम्पत्ति का हस्तान्तरण अनुमति नहीं होगा। उपाध्यक्ष, की अनुमति से निर्धारित शुल्क भुगतान करने की दशा में सम्पत्ति विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

14-कर आदि की देयता:

आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।

15-अन्य सामान्य नियम व शर्तें:

15.1 निर्धारित शर्तों में परिवर्तन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को होगा।

- 15.2 आवंटन के सम्बन्ध में शासन तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम व शर्तें तथा उनमें किये गये संशोधन एवं परिवर्तन भी लागू एवं मान्य होंगे।
- 15.3 समस्त विवादों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- 15.4 आवंटन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद जिला न्यायालय सहारनपुर के अधिकार क्षेत्र में माने जायेंगे।
- 15.5 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा तथा आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में निरस्त किया जा सकता है।
- 15.6 प्राधिकरण द्वारा घोषित समय में भवन का कब्जा देने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा परन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसमें विलम्ब होता है तो आवंटी अपनी जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस लेने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु रजिस्ट्री/कब्जा दिये जाने में विलम्ब के आधार पर कोई अन्यथा दावा मान्य नहीं होगा।
- 15.7 पुराने पंजीकरण मान्य नहीं होंगे।
- 15.8 आवेदक को अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर देना अनिवार्य होगा ताकि भवन आवंटित न होने की स्थिति में जमा धनराशि आपके बैंक खाते के माध्यम से वापस की जा सके।
- 15.9 प्राधिकरण में पंजीकरण होने के आधार पर आवेदक को सुनिश्चित आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 15.10 फ्लैट/भवन का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट अविभाजित करने अथवा किसी अन्य फ्लैट के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढाँचा खड़ा करने का अधिकार नहीं होगा।
- 15.11 शासन से भविष्य में यदि फ्री-होल्ड सम्बन्धी कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16-पंजीकरण प्रक्रिया:

- 16.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका/आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में ₹0 500/- (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) का नगद भुगतान करके निम्नलिखित प्राधिकरण कार्यालय/बैंक शाखाओं से क्रय किये जा सकते हैं।

1- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, न्यू आवास विकास, दिल्ली रोड सहारनपुर।

2-सहारनपुर विकास प्राधिकरण, हकीकत नगर निकट गन्ना भवन सहारनपुर।

- 16.2 विवरण पुस्तिका में सलंगन आवेदन-पत्र पूर्णरूपेण भरें। पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट/पे-आर्डर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में सहारनपुर में देय होना चाहिये तथा विवरण पुस्तिका में सलंगन शपथ पत्र के प्रारूप को रू0. 10/- (रूपये दस) के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टकिंत करा कर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर उपर्युक्त अवधि में समस्त पत्राजात निर्धारित सहारनपुर विकास प्राधिकरण सम्पत्ति अनुभाग में जमा करे।

17-पुर्नस्थापना:

उपाध्यक्ष निरस्त भवन को पुर्नस्थापित कर सकते है यदि आवंटन निरस्त होने के 1 माह के अन्दर आवेदन पुर्नस्थापना का प्रार्थना पत्र दे और तब तक की समस्त बकाया राशि जमा कर दें। प्राधिकरण पुर्नस्थपना शुल्क के रूप में कुल प्रचलित प्रीमियम का 10 प्रतिशत राशि वसूल करेगा।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 10/-के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं.....

पुत्र/पत्नी.....

आयु.....निवासी.....

.....शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ:


1. मैं भारत का /की नागरिक हूँ।
2. मैं आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
3. भूमि अर्जन में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में यदि आवंटित भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप पालन करूँगा/करूँगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा प्राधिकरण के देयों के भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

हकीकत नगर निकट आई0एम0ए0 भवन, सहारनपुर।

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र



फार्म संख्या..... पंजीकरण संख्या.....

1. योजना का नाम: ट्रान्सपोर्ट नगर आवासीय योजना
2. भुगतान पद्धति:..... कोड:.....
3. भवन की श्रेणी:..... कोड:.....
4. आरक्षित वर्ग / श्रेणी:..... कोड:.....
5. आवेदक का नाम:.....
6. सयुक्त आवेदक का नाम:.....
7. आवेदक के पिता / पति का नाम:.....
8. सयुक्त आवेदक के पिता / पति का नाम:.....
9. आवेदक का लिंग (पुरुष / स्त्री).....
10. आवेदक की आयु:..... वर्ष
11. सयुक्त आवेदक की आयु:.....
12. पत्र व्यवहार का पता (वर्तमान पता):.....
.....पिन कोड:..... मोबाईल नं0:.....
- पत्र व्यवहार का पता (स्थायी पता):.....
.....पिन कोड:..... मोबाईल नं0:.....
13. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
14. वार्षिक आय रू0: अंको में :.....
शब्दों में :.....
15. पंजीकरण धनराशि रू0: अंको में :.....
शब्दों में :.....
16. बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर संख्या:..... दिनांक:
- निर्गतकर्ता बैंक का नाम:.....

16. खाते का प्रकार (बचत/चालू/अन्य):.....खाता संख्या:.....

17. पैन नम्बर:.....

मै/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है एवं इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है तथा इसका कोई भाग असत्य नहीं है। मै/हम घोषणा करता /करती हूँ कि मैंने/हमने उक्त योजना में पंजीकरण सम्बन्धी सभी नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ लिया है तथा मै/हम उनसे सहमत हूँ/हैं तथा उन्हे मानने के लिये बाध्य हूँ/है। मै/हम यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि अगर दी गयी सूचना का कोई भाग असत्य या अपूर्ण पाया जाता है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

दिनांक:.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पुरा नाम व पता

आवेदन भरने हेतु दिशा निर्देश

1. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर केवल आवेदक ही करे।
2. आवेदक केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे:-
0,1,2,3,4.....
3. आवेदन-पत्र भरने हेतु विभिन्न कोड सम्मुख सूची में अंकित है।
4. अपूर्ण/अवैध आवेदनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
5. प्राधिकरण से पत्र व्यवहार करते समय पंजीकरण संख्या अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दे।
6. पत्र व्यवहार का पता बदलने पर प्राधिकरण को तुरन्त सूचित कर दे।
7. आवेदन पत्र भरते समय निर्देशों को अवश्य पढ लें।

अनुसूची	
क्रम संख्या: 1	कोड
योजना: ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना	
क्रम संख्या: 2	
भुगतान पद्धति	कोड
एक मुश्त भुगतान	01
05 वर्ष की किश्तों में भुगतान	02
10 वर्ष की किश्तों में भुगतान	03
क्रम संख्या: 3	
भवनों की श्रेणी	कोड
1. वन रुम सैट भवन (भूतल)	110
2. वन रुम सैट भवन (अन्य तल)	120
3. टू रुम सैट भवन (भूतल)	130
4. टू रुम सैट भवन (अन्य तल)	140
क्रम संख्या: 4	
आरक्षित श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	02
अनुसूचित जनजाति	03
पिछडी जाति	04
सुरक्षा कर्मी	05
एम.एल.ए/एम.एल.सी./सांसद	09
उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10
उ०प्र० नगर पालिका कर्मचारी	11
जिला परिषद कर्मचारी	12
उ०प्र० जल संस्थान	13
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी	14

आवेदक की प्रति चालान संख्या.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
हकीकत नगर, सहारनपुर।

आवेदक का नाम:.....

योजना का नाम:.....

भूखण्ड की श्रेणी:.....

पंजीकरण धनराशि रू0.....

रूपयें शब्दों में रू0.....

बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें पंजीकरण धनराशि जमा
की गयी है:.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक:.....

निर्गतकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:.....

तिथि:.....

आवेदक के हस्ताक्षर:.....

केवल बैंक प्रयोगार्थ

तिथि:.....

धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

आवेदक की प्रति चालान संख्या.....

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
हकीकत नगर, सहारनपुर।

आवेदक का नाम:.....

योजना का नाम:.....

भूखण्ड की श्रेणी:.....

पंजीकरण धनराशि रू0.....

रूपयें शब्दों में रू0.....

बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें पंजीकरण धनराशि जमा
की गयी है:.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक:.....

निर्गतकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा:.....

तिथि:.....

आवेदक के हस्ताक्षर:.....

केवल बैंक प्रयोगार्थ

तिथि:.....


धनराशि प्राप्त कर ली गयी है।

प्रबन्धक
बैंक की मोहर

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

